



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक : लो०अ०वि० / सा०प्र० / 607 / 2020

दिनांक : 16 ,सितम्बर, 2020

कार्यालय-विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति के लिए डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्राध्यापक अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव/महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रसारित कराकर कुलसचिव, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को दिनांक 03.10.2020 तक पंजीकृत डाक से प्राप्त करा दें।

कार्यक्रम समन्वयक पद हेतु न्यूनतम अर्हता एवं शर्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rmlau.ac.in से डाउनलोड की जा सकती है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्पादक/संवाददाता, अमर उजाला, समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र अमर उजाला के लखनऊ संस्करण में 8X5 cm में विज्ञापित करने का कष्ट करें।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय-विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के कालेज लॉग-इन आई०डी० पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. निजी सचिव कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव।
5. नोटिस बोर्ड।
6. पत्रावली।


कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक : लो०अ०वि०/सा०प्र०/608/2020

दिनांक : 16, सितम्बर, 2020

कार्यालय-विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के नियुक्ति के लिए डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्राध्यापक अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव/महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रसारित कराकर कुलसचिव, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को दिनांक 03.10.2020 तक पंजीकृत डाक से प्राप्त करा दें।

अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के पद हेतु न्यूनतम अर्हताये:-

1.	विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में सह-आचार्य/सहायक आचार्य (चयन वेतनमान), सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर कार्यरत होना चाहिए।
2.	सम्बद्ध कालेजों के प्राचार्य, जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठ भूमि तथा सह आचार्य (रीडर) का दर्जा प्राप्त हो, को भी कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
3.	वह राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमाधिकारी के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष तक रहा हो।
4.	उसे प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्रशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए।
5.	कार्यक्रम समन्वयक के चयन के समय उसे 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति 03 वर्ष के लिए की जायेगी और शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय-विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाईट तथा सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के कालेज लॉग-इन आई०डी० पर अपलोड किये जाने हेतु।
2. निजी सचिव कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव।
4. पत्रावली।

कुलसचिव